आवंटन पत्र प्रपत्र ''क''/प्रपत्र ''ख'' एवं प्रपत्र ''ग'' के रूप में संलग्न है जो स्वपरिभाषित है।

IV कार्यों का कार्यान्वयन :–

4.1 स्वीकृत योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कराया जायेगा। पच्चीस लाख से अधिक राशि की योजनाओं की निविदा ई–निविदा के माध्यम से संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा कराया जायेगा। इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

4.2 स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन, संबंधित कार्य प्रमंडल के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जायेगा।

4.3 योजनाओं के कार्यान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह मुख्य अभियंता कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं मुख्यालय स्तर पर संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका अनुश्रवण अंचल एवं मुख्यालय स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुश्रवण कार्य हेतु विभाग द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र–घ के रूप में संलग्न करना है। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संदर्भित आवश्यक अनुदेश निर्गत करेगा।

V गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यों का पर्यवेक्षण :–

5.1 इस योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत रहेगा :–

(i) प्रथम स्तर– संवेदक/ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडल के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता एवं भारतीय रोड कॉंग्रेस द्वारा ग्रामीण पथों हेतु निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्माण के क्रम में समुचित संख्या में आवश्यक जाँच की जायेगी।

(ii) द्वितीय स्तर– बिहार लोक निर्माण संहिता में तकनीकी पदाधिकारियों हेतु प्रावधानित अनुदेशों के अनुसार अधीक्षण अभियंता एवम् मुख्य अभियंता के द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के क्रम में आवश्यक जाँच की जायेगी।

(iii) तृतीय स्तर– मिट्टी अन्वेषण एवम् गुण नियंत्रण प्रमंडल (ग्रामीण कार्य विभाग)–विभाग में कार्यरत मिट्टी अन्वेषण एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीण पथों हेतु भारतीय रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित किये गये मापदंडों से निहित प्रावधानों के आलोक में निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में आवश्यक जाँच की जायेगी।